रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 1971/माघ 16, 1892

No. 102] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 1971/MAGHA 16, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February 1971

S.O. 669.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendment shall be made in its Notification No. 434/MY/71, dated the 6th January, 1971, namely:

In column 3 of the Table appended to the said notification—

1. Against Serial No. 12—Kanakapura, for the existing entry, "(4) Land Acquisition Officer, City Improvement Trust Board, Bangalore", the entry "(4) Special Land Acquisition Officer, City Improvement Trust Board, Bangalore"; and
2. Against Serial No. 18—Hassan, for the existing entry, "(5) Special Land Acquisition Officer, Hemavathi Reservoir Project, Hassan", the entry "(5) Special Land Acquisition Officer, Hemavathi Reservoir Project II, Hassan", shall be substituted.

[No. 434/MY/71.]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी 1971

एस० ओ० 669.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना संख्या 434/मैसूर,/71, तारीख 6 जनवरी, 1971 में निम्नलिखित संशोधन किए जायेंगे, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 3 में,—

1. क्रम संख्या 12—कनकपुरा के सामने, विद्यमान प्रविष्टि "(4) भूमि अर्जन आफिसर, नगर सुधार मंडल बोर्ड, बंगलौर" के स्थान पर "(4) विशेष भूमि अर्जन आफिसर, नगर सुधार मंडल बोर्ड, बंगलौर" प्रविष्टि; तथा

2. क्रम संख्या 18—हसन के सामने, विद्यमान प्रविष्टि "(5) विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, हैमावठी जलाशय परियोजना, हसन" के स्थान पर "(5) विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, हैमावठी जलाशय परियोजना II, हसन" प्रविष्टि, प्रतिस्थापित की जायगी ।

[संख्या 434/मैसूर/71]

आदेश से,
के० एस० राजगोपालन सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971